राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी,(नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर **RAS**

राजस्व वाद संख्या ....122/17 केम्प ग्राम पंचायत चितावा

वादी बनाम प्रतिवादीगण

(1) भागीरथराम पुत्र चौथाराम जाति जाट नि. कालोली (1) तहसीलदार कुचामन

वाद पत्र धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनॉक 11/7/2017

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री भागीरथराम पुत्र चौथाराम जाति जाट निवासी कालोली तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है,वादी का नाम ग्राम कालोली के खाता संख्या/~~खसरा नम्बर~~ 84 में श्री भागूराम पुत्र चौथाराम जाति जाट अंकित हो गया है, जो सही नहीं है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/आधार कार्ड मे सही नाम भागीरथराम पुत्र चौथाराम है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रेकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी की गई। कि वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यो की जांच कर रिपोर्ट कैम्प चितावा में पेश करे। पत्रावली केम्प चितावा में पेश हुई । तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई। वादी ने अपने नाम का रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु कैम्प चितावा मे दस्तावेज पेश किये ,जो शामिल मिसल किये । कैम्प में उपस्थित मौतबरान से पूछताछ व वादी के वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम कालोली तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/~~खसरा नम्बर~~ 84 में वादी श्री भागूराम पुत्र चौथाराम निवासी कालोली की जगह वादी का सही नाम भागीरथराम पुत्र चौथाराम जाति जाट निवासी कालोली दुरूस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे । राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो , मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 11/7/2017 को सरे आम कैम्प चितावा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)